

SCMS
2020/00025
12/01/2021

21

जज अदालत तहसीलदार / नायब तहसीलदार सिणधरी तहसील सिणधरी

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी

बनाम



श्री..... इला

हलका..... निवलकोट

पुत्र श्री..... रेमा जाति..... भील

निवासी..... निवलकोट

किस्म मुकदमा धारा 91 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 मु.नं. 21/वर्ष 2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाहीमय इनिशियलस जज	हुक्म और तारीख तामिल की
10-7-2020	पटवारी हलका निवलकोट ने रिपोर्ट पेश कर सूचित किया कि उक्त अप्रार्थी ने संवत्..... में मौजा निवलकोट के खसरा नंबर 348 रकबा 3000 अर्थात् किस्म भूमि 3 मु. 20 पर नाजायज अतिक्रमण कर काश्त व कब्जा किया है, अतः राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 29-7-2020 को बमुकाम सिणधरी में पेश हों।	
29-7-2020	पत्रावली आठ पेश हुई। गैर सायल व पटवारी हलका उपस्थित। गैर सायल ने जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। गैर सायल को एक और भवतर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 13-8-2020 को पेश हो।	 इला  प. निवलकोट

तहसीलदार सिणधरी
जिला-वाड़मेर

तहसीलदार सिणधरी
जिला-वाड़मेर

13-8-2020

पत्रावली भाग पेश हुई। और सामान्य
अनुपास्थित पटवारी हल्का अनुपास्थित।
पत्रावली दिनांक 26-8-2020 को पेश है।

तहसीलदार सिणधरी
जिला-बाड़मेर

26-8-2020

पत्रावली भाग पेश हुई। और सामान्य
अनुपास्थित। पटवारी हल्का उपस्थित।
और सामान्य को अतिक्रम घोषित करते
हुए पत्रावली फेसल सुमार है।
निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल
पत्रावली है। निर्णय खुले व्यापार में
सुनाया जाय पत्रावली फेसल सुमार
होकर दारिद्र्य दफतर है।

तहसीलदार सिणधरी
जिला-बाड़मेर

प. निम्बलकोट